(ङ) प्रश्न नहीं उठता । भुज में एक सैन्य अस्पताल पहले ही विद्यमान है ।

सैन्य इंजीनियरी सेवा में सिविल लोग

2373. **श्री चुन्नीलाल चौधरी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्य इंजीनियरी सेवा में सिविलियन भी आते हैं;

(ख) यदि हां, तो सैन्य इंजीनियरी सेवा में कार्यरत सिविलियन अधिकारियों को सैनिक अस्पताल की सुविधा न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सैन्य इंजीनियरी सेवा में कार्यरत सिविलियन अधिकारियों को सैन्य क्षेत्र से आने वाले अपने अन्य सहयोगियों की तरह आवास सुविधा प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) जी, हां ।

(ख) सैन्य अस्पताल सेवा विशेष रूप से सैन्य कार्मिकों के लिए उनकी सेवा संबंधी आवश्यकता के अनुसार बनाई गई है । सैन्य इंजीनियरी सेवा के सिविलियन कार्मिकों के लिए चिकित्सा सुविधा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा अथवा जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना नहीं है वहां पर प्राधिकृत मेडिकल अटेंडेन्ट्स द्वारा उपलब्ध कराई जाती है । तथापि, कुछ आपातकालिक मामलों में सिविलियनों को भी मिलिट्री अस्पताल में गैर-हकदार व्यक्तियों के रूप में भरती किया जाता है जिसके लिए उन्हें भुगतान करना होता है ।

(ग) सैन्य आवश्यकता/परिस्थितियों की वजह से मिलिट्री स्टेशनों पर सैन्य कार्मिकों के वास्ते परिवार आवास/एकल आवास उपलब्ध कराए जाते हैं । सैन्य इंजीनियरी सेवा के सिविलियन जो कि महत्वपूर्ण कार्मिक होते हैं उनके लिए भी सभी स्टेशनों पर शत-प्रतिशत परिवार आवास उपलब्ध कराए जाते हैं । सैन्य इंजीनियरी सेवा के अन्य सिविलियनों के वास्ते आवास की व्यवस्था रक्षा सेवाओं में सिविलियन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए आवासों के पूल में से की जाती है । इसके अतिरिक्त परिवार आवास के उपलब्ध न होने की स्थिति में, सरकारी आदेशों के अनुसार, सिविलियन कार्मिक मकान किराया भत्ता लेने के भी हकदार होते हैं ।

भारतीय इंजीनियरी सेवाओं में पदोन्नति संबंधी मानदण्ड

2374. **श्री चुन्नीलाल चौधरी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इंजीनियरी सेवा में आने वाले व्यक्तियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है और उन्हें विभागों का आवंटन उनके योग्यता-क्रम (मैरिट) के अनुसार किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सैन्य इंजीनियरी सेवा में पदोन्नति की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जबकि रेल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा डाक एवं तार विभाग जैसे विभागों में पहली पदोन्नति 8–9 वर्षों में और दूसरी पदोन्नति 13–14 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इन सेवाओं में भेदभाव बरते जाने के क्या कारण हैं और उसके क्या आधार हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी०एन० सोमू) : (क) संयुक्त इंजीनियरी सेवा परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को उनके योग्यताक्रम, उनकी प्राथमिकताओं उनकी श्रेणी और उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त